रोज़गार अधिकार मंच में सम्मिलित संस्थाऐं

दिशा विहार, मुंगेर
वनांचल अन्त्योदय महिला विकास संघ, देवघर
महिला सशक्तिकरण केन्द्र सोखो मिशन, जमुई
विनीत विकास बिन्दु, बांका
महावीर शिक्षण संस्थान, सिकन्दरा
लोक प्रकाश, जमुई
ह्यूमनिटी एण्ड सोशल फाउण्डेशन, जमुई
सेवा भारती, बौंसी
जन प्रगति संस्थान, सिकन्दरा
समग्र सेवा, जमुई
सर्व कल्याण संस्थान, जमुई
महिला विकास सेवा केन्द्र, देवघर
लोक विकास भारती, जसीडीह
जवाहर ज्योति बाल विकास केन्द्र, समस्तीपुर
श्री वैद्यनाथ फाउण्डेशन, देवघर
भारतीय जीवन संचय सोशल प्रॉस्पेरिटी एण्ड चेरिटेबल सोसाइटी, देवघर
गाँधी गोल्डन ट्रस्ट, देवपुर
अर्पण, देवघर
विकास प्रभा, जसीडीह
प्रवाह, देवघर
लोक विकास संस्थान, जमुई
कल्पतरू सामाजिक उन्नयन संस्थान, जमुई
लोक कल्याण समिति, गिद्धौर
दलित मुक्ति मिशन, बांका
उपकार, सबलबीघा
क्षत्रिय कुण्ड सेवा समिति, गिरिडीह
लोक विकास बिंदु, जमुई
विकल्प, देवघर
संथाल पहाड़िया विकास केन्द्र, देवघर
जन जागृति एवं विकास समिति, जसीडीह
पैरवी, नई दिल्ली

रोज़गार अधिकार मंच

काम मांगो अभियान

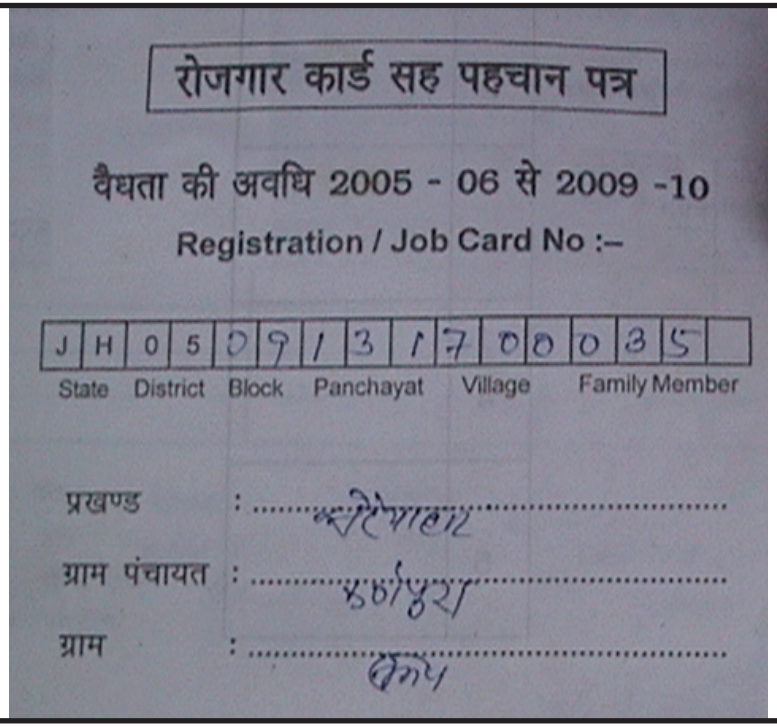

Pairvi

जी–30, प्रथम तल
लाजपतनगर–3, नई दिल्ली–110024
दूरभाषः 011-29841266, फैक्सः 011-65151897
ईमेलः pairvidelhi@rediffmail.com; वैबसाईटः www.pairvi.org

आगामी गतिविधियाँ :

अभियान में संचालित गतिविधियों में प्रमुखतः आवेदन स्वीकृत किये जाने में संबंधित पदाधिकारियों का असहयोगात्मक व्यवहार एक प्रमुख समस्या के रूप में सामने आया है। इसके निराकरण के लिए रोज़गार अधिकार मंच की साथी संस्थाओं ने तय किया कि संबंधित क्षेत्र की संस्थाओं के साथियों का एक प्रतिनिधि मण्डल ब्लॉक व जिला स्तर के पदाधिकारियों से संवाद स्थापित कर समस्याओं के स्थाई समाधान का प्रयास करेगा। इसके बावजूद यदि इस प्रकार की समस्या बनी रहती है तो ग्रामीणों के साथ पदाधिकारियों का संवाद स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मुख्य रूप से इस बात का प्रयास किया जाएगा कि रोज़गार सेवक अपने कार्यक्षेत्र में नियमित रूप से उपस्थित रहें ताकि ग्रामीणों को आवेदन देने व पदाधिकारियों को आवेदन प्राप्त करने में सुगमता हो।

मज़दूरों के पास जॉब कार्ड न होने और मध्यस्थ व्यक्तियों द्वारा उनके जॉब कार्ड का मनमाने तरीके से इस्तेमाल करने की समस्या को रोकने के लिए ग्रामीणों की ग्राम प्रधान, रोज़गार सेवकों इत्यादि के साथ सीधी बातचीत आयोजित की जाए, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि जॉब कार्ड मज़दूरों को वापस प्राप्त हो व उनके पास ही रहे। यदि मुखिया, ग्राम प्रधान या रोज़गार सेवक इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाते हैं तो संबंधित अधिकारी से इस संदर्भ में उचित कार्यवाही की मांग की जाए।

नरेगा के अंतर्गत काम करने वाले मज़दूरों को संगठित करने का प्रयास किया जाए व उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि वे बैंक/पोस्ट ऑफिस से ही भुगतान की मांग करें और खाता खोलने के लिए मांगी जाने वाली रिश्वत का विरोध करें। क्षेत्रों में कार्यरत संगठन/संस्थाऐं भी इस प्रक्रिया पर निगरानी रखेंगे व मज़दूरों को जागरूक करने के लिए प्रयासरत रहेंगे।

रोज़गार अधिकार मंच के बैनर तले काम मांगो अभियान के प्रारंभिक चरण में तय की गई गतिविधियों (जागरूकता, आवेदन इत्यादि) को निरंतर आगे बढ़ाया जाएगा व सभी साथी संगठन आपसी सहयोग के माध्यम से अभियान को मज़बूती प्रदान करेंगे।

भूमिका

देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में मज़दूरी करने के इच्छुक परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिन के रोज़गार की गारंटी का यह कानून निःसंदेह सराहनीय है। भारतीय संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक को सम्मानपूर्वक जीवन-यापन और इसके लिए रोज़गार का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम इसी अधिकार को वास्तविकता में प्रतिफलित करने का प्रयास है, साथ ही समाज में हाशिए पर रह रहे लोगों का रोजी-रोटी की तलाश में बड़े पैमाने पर हो रहा पलायन रोकने के लिए भी यह एक सशक्त माध्यम है। परंतु इस कानून में वर्णित प्रावधानों की तमाम अच्छाईयों के बावजूद ज़मीनी हकीकत से साक्षात्कार इस कानून की सफलता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

बिहार और झारखण्ड में नरेगा की वर्तमान स्थितियाँ चिंतनीय हैं। इन्हीं स्थितियों को केन्द्र में रखते हुए एक लम्बे अरसे से इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि नरेगा के सफल क्रियान्वयन को मज़बूत करने के लिए कोई सार्थक कदम उठाने की आवश्यकता है। इसी का परिणाम है कि पैरवी, नई दिल्ली की पहल पर बिहार व झारखण्ड की विभिन्न संस्थाओं द्वारा रोज़गार अधिकार मंच का गठन किया गया और काम मांगो अभियान की शुरूआत की गई।

अभियान की आवश्यकता क्यों ?

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (नरेगा) लागू होने के तीन वर्ष पश्चात भी यदि इस बात का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए कि कानून की मूल अवधारणा के अनुरूप यह कितना सफल है तो कई संदर्भों में परिणाम निराशाजनक ही प्राप्त होता है। जॉब कार्ड बनाने से लेकर भुगतान होने तक की हर प्रक्रिया की ज़मीनी सच्चाई इस कानून की अवधारणा, इसमें वर्णित प्रावधानों और क्रियान्वयन की वास्तविकता में एक बड़ा अंतर प्रस्तुत करती है। जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि समाज के जिस वर्ग को केन्द्र में रखते हुए वर्षों की कोशिशों के परिणाम स्वरूप यह कानून बना, इसमें उसी वर्ग का शोषण नज़र आता है।

ऐसी घटनाऐं व स्थितियां प्रकाश में आ चुकी हैं जो इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि नरेगा के बेहतर क्रियान्वयन के लिए न सिर्फ सरकार बल्कि एक आम नागरिक की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। विभिन्न नागर समाज संस्थाऐं जो आमजन के हित के लिए कार्यरत और प्रतिबद्ध हैं, ऐसी स्थितियों में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। नरेगा का सफल क्रियान्वयन इसकी व्यवस्था के सबसे निचले चरण के सशक्तिकरण से ही संभव है। इसलिए इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि विभिन्न गैर-सरकारी, नागर समाज संस्थाऐं मिलकर एक अभियान की शक्ल

में इस कानून के आधार समुदाय और निचले चरण के सशक्तिकरण का कार्य करें।

अभियान पूर्व परिदृश्य

अभियान की शुरूआत में सबसे पहले बिहार और झारखण्ड में नरेगा संबंधी वर्तमान स्थितियों पर जानकारी प्राप्त की गई। जो तथ्य सामने आए उनसे निष्कर्षतः यह पता चला कि अधिकांश क्षेत्रों में नरेगा के प्रति जागरूकता न के बराबर है। ग्रामीण जॉब कार्ड व काम मांगने की प्रक्रिया से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। अपने अधिकारों के प्रति भी ग्रामीणों को जानकारी नहीं है। काम प्राप्त करने के लिए भी मजदूर इस बात इंतजार करते हैं कि जब उन्हें काम दिया जाएगी तभी तो वे काम पर जाऐंगे। इन्हीं स्थितियों के चलते जब उन्हें काम नहीं मिलता तो वे पलायन के लिए विवश होते हैं। अर्थात् नरेगा लागू हो जाने पर जहां इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही थी कि काम की तलाश में लोगों का दूसरे राज्यों में पलायन का जो प्रतिशत है उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी वहीं स्थिति यह है कि बिहार और झारखण्ड से आज भी प्रतिदिन सैकड़ों मजदूर काम की तलाश में पलायन करने को विवश हैं। दूसरी ओर जिन मजदूरों ने नरेगा के अंतर्गत काम भी किया है उन्हें भुगतान समय पर न मिलने के कारण भी उनकी स्थिति में कोई सुखद परिवर्तन नहीं आया है।

अभियान की शुरूआत

10 जनवरी 2009 को जसीडीह (झारखण्ड) में बिहार और झारखण्ड की संस्थाओं के साथ एक खुली बैठक का आयोजन किया गया जिसमें देवघर, गिरिडीह, दुमका, बांका, मुंगेर, जमुई और समस्तीपुर जिले से तकरीबन 40 संस्थाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि नरेगा के क्रियान्वयन को सशक्त करने के लिए लाभार्थियों को जागरूक किया जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि वे अपनी भूमिका को समझ सकें और लाभ ले सकें। मजदूरों को जागरूक करने के अलावा अभियान में जॉब कार्ड बनवाने और काम मांगने के लिए आवेदन भी किया जाना चाहिए ताकि वित्तीय वर्ष के अंत तक मजदूरों को अधिक से अधिक दिनों का काम दिलाया जा सके। इसके अतिरिक्त इस सारी प्रक्रिया में मजदूरों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों से भी संवाद स्थापित कर कोई स्थाई समाधान करने का भी प्रयास किया जाए। इन गतिविधियों को संचालित करने के लिए संस्थाऐं व्यक्तिगत

परंतु अंततः परिणाम सुखद रहा, लोगों को काम मिलने लगा व जॉब कार्ड बनने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई। ग्राम चौथई जो कि पूर्णतः मछुआरों की बस्ती है के ग्रामीणों ने ब्लॉक कार्यालय जाकर धरना दिया व जॉब कार्ड की मांग की जिसके परिणाम स्वरूप कार्यक्रम पदाधिकारी सक्रिय हुए व जल्द ही जॉब कार्ड उपलब्ध कराकर लोगों को काम भी वितरित किया गया।

- *बिहार के जिला मुंगेर में मुंगेर ब्लॉक के ही कुछ गाँवों के तकरीबन 165 ग्रामीणों को उस समय चल रही रोज़गार सेवकों की हड़ताल के कारण आवेदन जमा करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब कार्यक्रम पदाधिकारी से ग्रामीणों ने संपर्क किया तो पहले तो उन्होंने टाला और अधिक जोर देने पर उन्होंने ग्रामीणों से मिलना ही बंद कर दिया यहाँ तक कि तकरीबन 4–5 दिन तक वे अपने कार्यालय में ही नहीं आए। तदुपरांत ग्रामीणों ने बी.डी.ओ. महोदय से मिलकर जब आवेदन स्वीकृत करने की बात कही तो उन्होंने कहा कि चूँकि कार्यक्रम पदाधिकारी नरेगा संबंधी कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। आखिरकार ग्रामीणों को विवश होकर बी.डी.ओ. कार्यालय के समक्ष धरना देना पड़ा और बी. डी.ओ. महोदय का घेराव कर उन्हें आवेदन स्वीकृत करने के लिए बाध्य किया गया। जिसके फलस्वरूप अंततः बी.डी.ओ. महोदय द्वारा 165 ग्रामीणों का आवेदन स्वीकृत किया गया।*

- *बिहार के जिला जमुई के प्रखण्ड चौरा में पाया गया कि सभी मज़दूरों के जॉब कार्ड व बचत खाते की पास-बुक मुखिया के पास हैं, जिन्हें वह वापस नहीं कर रहा है। शिविर के दौरान जब मज़दूरों को बताया गया कि जॉब कार्ड व पास-बुक मजदूर की सम्पत्ति है, उसे अपने पास रखने का मुखिया को कोई अधिकार नहीं है तो मज़दूरों ने अलग-अलग जाकर अपने कागजात की मांग की जिसका कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आया। तदुपरांत मज़दूरों ने संगठित होकर एक साथ अपने कागजातों की मांग करना व मुखिया के विरूद्ध शिकायत करना तय किया। जब मज़दूरों ने एकत्रित होकर मुखिया से जॉब कार्ड व पास-बुक की मांग की और वापिस न करने पर शिकायत दर्ज करने की मंशा जाहिर की तो मुखिया ने तत्काल ही सभी मज़दूरों को उनके कागजात वापिस कर दिये।*

- अभियान की प्रमुख उपलब्धि ग्रामीणों द्वारा जॉब कार्ड व काम की मांग के लिए आवेदन की प्रक्रिया का अपनाना है। अभियान के कार्यक्षेत्र में सभी जगह पाया गया कि इसके पहले मज़दूरों का ज्ञात नहीं था कि काम प्राप्त करने के लिए या जॉब कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया जाता है। वे इस सब के लिए रोज़गार सेवक या अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर रहते थे। कानून के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद ग्रामीणों ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आवेदन देना प्रारंभ किया।
- झारखण्ड के क्षेत्रों में अधिकारियों, रोज़गार सेवकों से संवाद स्थापित कर सहयोग प्राप्त किया, जिसके चलते देवघर की मानिकपुर पंचायत व दुमका जिले की सरैयाहाट पंचायत में ग्रामीणों द्वारा किये गए आवेदनों के आधार पर उन्हें अविलम्ब जॉब कार्ड व काम प्रदान किया गया।
- अभियान के स्वरूप और गतिविधियों के प्रभाव के परिणामस्वरूप जिला दुमका व कई अन्य संगठनों का अभियान में समावेश
- 19 जनवरी 2009 से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ इस अभियान में 13 फरवरी 2009 तक तकरीबन 3000 आवेदन जॉब कार्ड व काम की मांग के लिए भरे गए, जिनमें से तकरीबन 1500 आवेदन जमा कर प्राप्ति रसीद ग्रामीणों ने प्राप्त की।
- अभी तक ग्रामीणों द्वारा कार्यरत संस्थाओं के सहयोग से तकरीबन 5000 आवेदन प्रस्तुत किये गए हैं। ग्रामीणों की जागरूकता के परिणामस्वरूप ऐसे क्षेत्रों में जहां कि नरेगा का अस्तित्व नगण्य था वहां भी इसके क्रियान्वयन में गतिशीलता आई है।
- अभियान के दौरान नरेगा क्रियान्वयन की प्रक्रिया को मज़बूत व गतिशील बनाने के लिए ग्रामीणों का पर्याप्त सहयोग मिला। कुछ प्रमुख उल्लेखनीय बिंदु इस प्रकार हैं –

- *बिहार के जिला समस्तीपुर में निकाली गई साइकिल यात्रा के दौरान मोहनपुर ब्लॉक के चौथई, डूमरी ऐसे गाँव पाए गए जहाँ ग्रामीणों ने न कभी रोज़गार सेवक को देखा था और न ही उनके पास जॉब कार्ड थे। यहां तक कि पूरे गाँव में कुछ ही ऐसे लोग थे जिन्होंने नरेगा का सिर्फ नाम भर सुना था। कुछ ऐसा ही हाल ग्राम सिउरा का भी था। वहां फर्क इतना था कि कुछ लोगों के पास जॉब कार्ड भी थे पर काम किसी ने नहीं किया था। इन गांवों में ग्रामीणों को दी गई जानकारी के बाद स्वयं ग्रामीणों ने स्वयं ही कार्यक्रम पदाधिकारी, रोज़गार सेवक से मिलना व दबाव बनाना प्रारंभ किया जिसके लिये उन्हें कई बार सम्मिलित रूप से भी ब्लॉक कार्यालय भी जाना पड़ा।*

स्तर पर कार्य करने के बजाय एक सम्मिलित मंच का गठन कर अभियान के रूप में कार्य करें ताकि गतिविधियों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सके। इसके अतिरिक्त पैरवी, नई दिल्ली ने अभियान के लिए आवश्यक तकनीकि सहयोग (प्रशिक्षण, प्रचार सामग्री व आवेदन फॉर्म आदि) प्रदान करने की जिम्मेदारी ली। बैठक में हुए इस निर्णय के पश्चात 17–18 जनवरी 2009 को अभियान में कार्यशील कार्यकर्ताओं को नरेगा पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया व अभियान की रूपरेखा सुनिश्चित की गई। अभियान की शुरूआत में संस्थाओं ने अपनी स्वेच्छा से कार्यक्षेत्र का चयन किया जिसके अनुसार सभी जिलों की 59 पंचायतों में तकरीबन 350 गांवों की सूची तैयार हुई, जिनमें कि संस्थाओं ने अभियान को निरंतर आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

प्रमुख गतिविधियाँ

- 17–18 जनवरी को विभिन्न संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को नरेगा पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया व अभियान की रूपरेखा सुनिश्चित की गई।
- प्रशिक्षण के उपरांत कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न गांवों में निरंतर शिविर आयोजित कर ग्रामीणों को नरेगा के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उन्हें जॉब कार्ड, काम मांगना, कार्य सूचना, कार्यस्थल सुविधाओं, भुगतान प्रक्रिया, बेरोजगारी भत्ता आदि सभी बिंदुओं पर सिलसिलेवार प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की गई।
- प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर अभियान में उनका सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया गया, जिसका कि कुछ क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हुआ।
- विभिन्न ग्राम पंचायतों में 26 जनवरी 2009 को पूर्वनिर्धारित ग्राम सभा में ग्रामीणों व ग्राम प्रधान के साथ नरेगा पर चर्चा।
- रोज़गार सेवकों से निरंतर संपर्क में रहते हुए उनका सहयोग प्राप्त करने का प्रयास
- 30 जनवरी 2009, गाँधी पुण्यतिथि के अवसर पर विभिन्न पंचायतों में शिविर आयोजित कर ग्रामीणों को नरेगा की जानकारी प्रदान करना, उनके अधिकारों व अधिकारियों के दायित्वों की जानकारी देना एवं जॉब कार्ड व काम की मांग के लिए आवेदन दिलवाना
- 02 फरवरी 2009, नरेगा दिवस पर शिविरों का आयोजन कर उक्त प्रक्रिया का संचालन
- 07 फरवरी 2009 को पुनः जमुई में बैठक का आयोजन, अभियान की तब तक की गतिविधियों पर चर्चा व आगामी कार्ययोजना का निर्माण

- 08–12 फरवरी 2009 तक समस्तीपुर जिले में काम मांगो अभियान साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया जिसमें मोहनपुर, पटोरी, सरायरंजन, मोरवा व समस्तीपुर ब्लॉक के 15 गाँवों में ग्रामीणों के साथ बैठक कर नरेगा की जानकारी दी गई व जॉब कार्ड/काम की मांग के लिए आवेदन कराने की प्रक्रिया क्रियान्वित की गई।
- 12 फरवरी 2009 को साइकिल यात्रा के समापन पर समस्तीपुर विधि महाविद्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें बिहार के अन्य क्षेत्रों से आए संस्थाओं के प्रतिनिधियों, पत्रकारों, ग्रामीणों व प्रबुद्ध नागरिकों के साथ नरेगा पर व्यापक चर्चा की गई
- मज़दूरों द्वारा दिये गए आवेदनों को स्वीकृत कराने के लिए रोज़गार सेवक, कार्यक्रम पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ संवाद
- आवेदन स्वीकृत कराने में आ रही समस्याओं (अधिकांश क्षेत्रों में अधिकारियों का असहयोग) के समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर एडवोकेसी
- 13 फरवरी 2009 को देवघर, झारखण्ड में अभियान में शामिल सभी संस्थाओं के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन, आगामी कार्य योजना का निर्धारण
- अन्य संस्थाओं/संगठनों से सहयोग प्राप्त करने के लिए संवाद

चिन्हित अनियमितताऐं :

अभियान के दौरान बिहार और झारखण्ड के जिन क्षेत्रों में कार्य किया गया उनमें नरेगा के क्रियान्वयन में विभिन्न अनियमितताऐं चिन्हित की गई। सभी जगह कुछ अनियमितताऐं समान रूप से पाई गईं, जो कि इस प्रकार हैं -

- बिहार और झारखण्ड दोनों ही राज्यों में मज़दूरों में नरेगा, नरेगा की प्रक्रिया और अपने अधिकारों के बारे में जानकारी का अभाव है
- लगभग सभी क्षेत्रों में जॉब कार्ड मज़दूरों के पास न होकर ग्राम मुखिया/रोज़गार सेवक/पंचायत सचिव/ठेकेदार (जबकि नरेगा में ठेकेदार की मौजूदगी पूर्णतः प्रतिबंधित है) के पास है, जिस पर वे अपनी इच्छानुसार कार्यदिवस का अंकन करते हैं
- मज़दूरों को निश्चित समयावधि में भुगतान प्राप्त नहीं होता। भुगतान प्राप्त होने में कई बार तो 3 से 6 माह का भी विलम्ब पाया गया
- मज़दूरों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी का भुगतान नहीं किया गया
- महिला व पुरुषों को असमान मज़दूरी वितरण
- मज़दूरी का भुगतान बैंक/पोस्ट ऑफिस खाते के द्वारा होने का प्रावधान होने के बावजूद नकद भुगतान
- मज़दूरों के दस्तखत लेकर बिचौलियों द्वारा स्वयं बैंक से पैसे निकाल लेना
- जॉब कार्ड में कार्य-दिवसों का फर्जी अंकन
- बैंक/पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने के लिए मज़दूरों से रिश्वत की मांग, रिश्वत न देने पर मज़दूरों को पास-बुक न सौंपना
- जॉब कार्ड बनवाने के लिए मज़दूरों से पैसे लिया जाना (विशेषकर जॉब कार्ड में चस्पा किये जाने वाले फोटोग्राफ के लिए)
- कार्यक्षेत्र सुविधाओं का न होना
- काम की मांग/जॉब कार्ड के लिए आवेदन जमा करने पर प्राप्ति रसीद न देना/टालना
- ख़ासकर बिहार में पदाधिकारियों का असहयोगात्मक व्यवहार

प्रमुख उपलब्धियाँ :

- ग्रामीणों को नरेगा के विभिन्न बिंदुओं, प्रावधानों व अपने अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी हुई। कई क्षेत्रों में जहां मज़दूरों को नरेगा का सिर्फ नाम भर ज्ञात था वहां शिविरों के दौरान उन्होंने अपने प्रश्न रखे और नरेगा संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
- जानकारी के अभाव में जो मज़दूर पहले काम के लिए इंतज़ार करते थे अब उन्होंने काम की मांग करना प्रारंभ किया है। साथ ही मज़दूर इस बात के प्रति भी सतर्क हुए हैं कि अब वे जॉब कार्ड अपने ही पास रखें और इस पर भी निगरानी रखें कि उनके नाम पर कितने दिन का काम अंकित किया जा रहा है।
- जानकारी प्राप्त हो जाने के उपरांत मज़दूरों में संगठन की भावना उत्पन्न हुई। शिविरों के दौरान अधिकांश स्थानों पर मज़दूरों ने यह स्पष्ट किया कि जब तक मज़दूर स्वयं एकजुट नहीं होंगे बिचौलिये उनका हक छीनते रहेंगे। कई ग्रामीणों ने मज़दूरों के संगठन गठित करने का भी प्रस्ताव रखा।
- अभियान के दौरान सामने आई परिस्थितियों, आवेदन स्वीकृत कराने में आ रही समस्याओं आदि के निराकरण में आपसी सहयोग करने की भावना का कार्यरत संस्थाओं में भी विकास हुआ। अभियान के रूप में विभिन्न संस्थाऐं एक साथ एक मंच पर आईं और रोज़गार अधिकार मंच के रूप में संस्थाओं का एक सशक्त संगठन तैयार हुआ।